DR ANWAR ALAM (1)

UG HISTORY (HONS) SEM-VI

PAPER - CC - 14

SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION

दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन

अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो इसमें कई देश आते हैं। जिसमें कई प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि समस्याएं है तथा इन्ही समस्यायों के समाधान के लिए इन देशों ने एक संगठन का निर्माण किया जो दक्षिण एशिया के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि समस्यायों को दूर करने पर ध्यान देता है। जिसे हम सार्क के नाम से जानते है।

सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों का संगठन है। आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले इसे बनाने का विचार 1980 में आया था। इसके बाद सात देशों के मंत्रियों और नेताओं की कुछ बैठक और विचार विमर्श हुये जिसमें सभी देशों ने इस संगठन को बनाने की मंजूरी दी जिसके बाद बांग्लादेश के ढाका में 8 Dec 1985 में इसकी स्थापना हुई।

सार्क की स्थापना के समय सार्क के 7 (सात) सदस्य थे लेकिन अफगानिस्तान 3 Apr 2007 को इसमें शामिल हो गया। अब इसमें 8 (आठ) सदस्य हैं जिनका नाम यह है— अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालद्वीप, पाकिस्तान और श्रीलंका।

सार्क दक्षिणी एशिया के 8 (आठ) देशों को क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से एक मंच पर लाता है। इसका मुख्यालय काठमांडु (नेपाल) में है। इसका कुल क्षेत्रफल 5099611 किलो-मीटर है और इसमें रहने वाली कुल जनसंख्या 1.7 अरब के आस-पास है इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र के रुप में आस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय-संघ, ईरान, जापान, मारीशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है।

एक बार फिर हमलोग सिलसिलेवार तौर से दक्षिण एशिया सहयोग संगठन यानि South Asian Association for Regional cooperation जिसे Short form में SAARC के नाम से जानते हैं इसके बारे में आरम्भ से बात कर लें।

Origin and Development : →
उत्पत्ति एंव विकास — यद्यपि दक्षिण एशिया विश्व का एक प्रमुख क्षेत्र है। लंम्बे समय तक यहाँ किसी बहु-सरकारी सहयोग संगठन का अस्तित्व नहीं था। क्षेत्र के लोगों के सामूहिक कल्याण के लिए एक संगठन स्थापित करने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान ने उस समय प्रस्तुत किया नवम्बर 1980 में बांग्लादेश ने दक्षिण-एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के विषय पर एक दस्तावेज़ तैयार किया और दक्षिण एशियाई देशों में वितरित किया। 1981 और 1984 के मध्य सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु परिचालन एंव संस्थागत संपर्क गठित करने के लिए ~~विदेश एंव संस्थागत संपर्क गठित करने के लिये~~ विदेश सचिव स्तर पर कई बहुपक्षिय बैठकें हुई। 1983 में नई दिल्ली भारत में एक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के फलस्वरुप दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग समिति का गठन हुआ और एकीकृत कार्यक्रम योजना के अंतर्गत सदस्य देशों के बीच निम्नांकित क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने पर सहमति हुई - कृषि, संचार, शिक्षा, संस्कृति, एंव खेल, पर्यावरण और मौसम विज्ञान।

सार्क संगठन के सिद्धान्त (Principles of SAARC Organization)-
सार्क के चार्टर के अनुच्छेद-2 के अनुसार मुख्यतः तीन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है।
(1) संगठन के ढ़ांचे के अन्तर्गत सहयोग सार्वभौम सहायता, समानता संघीय एकात्मकता क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतंत्रता अहस्तक्षेप तथा परस्पर लाभ के सिद्धान्तों का सम्मान करना एंव अंतर्राष्ट्रिय मामलों में दखल देने को आधार मानकर संगठन का संचय तैयार करना।

(ii) संगठन के ढांचे में यह भी उल्लेख किया गया कि सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोध नहीं करेगा।

(iii) संगठन के ढांचे में यह भी व्यवस्था की गई कि सहयोग द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सहयोग के एवज़ में नहीं होगा।

स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण एवं बाल कल्याण, अवैध मादक पदार्थ व्यापार और औषधि एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन, परिवहन तथा महिला विकास, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय समिति, जिसके सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालद्वीप, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के मंत्री थे, इनके प्रमुख कार्य थे - इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करना, क्षेत्रीय और बाहरी संसाधनों को संगठित करना तथा सहयोग के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करना।

एसए आरसी की अनुशंसा के आधार पर दिसम्बर 1985 ई० में ढाका (बांग्लादेश) में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना के लिए जारी घोषणा पत्र (charter) को स्वीकृति प्रदान की गई।

उद्देश्य :- Objective :- सार्क का उद्देश्य है दक्षिण एशियाई जनता का कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार लाना, क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को गति देना सदस्य देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में पारस्परिक सहायता में तेजी लाना समान लक्ष्यों और उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समान हितों के मामलों में सदस्य देशों के मध्य सहयोग की भावना को मजबूती प्रदान करना तथा अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग स्थापित करना।

संरचना (Structure) :- सार्क के संगठनात्मक ढांचे में शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, मंत्रिपरिषद विदेश सचिवों की स्थायी समिति, कार्यकारी समिति तकनीकि समितियाँ और सचिवालय सम्मिलित हैं।

राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देश सम्मिलित होते हैं तथा यह सार्क का सर्वोच्च निर्णयकारी अंग है। सामान्यतया वर्ष में एक बार इस शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। मंत्रिपरिषद सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बनी होती है। इसके कार्य हैं — नीतियों का निर्धारण, इन नीतियों की प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नये क्षेत्र तथा उनके लिये आवश्यक प्रक्रियाओं की पहचान करना। मंत्रिपरिषद की वर्ष में कम से कम दो बैठकें आवश्य हो सकती हैं। मंत्रिपरिषद को सहायता देने के लिये कार्यकारी समिति विदेश मंत्रियों की स्थायी समिति और तकनीकी समितियों की व्यवस्था है। इसकी बैठक सामान्यता मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले होती है। तकनीकी समितियां अपने अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन समन्वयन और पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी होती है।

1987 में काठमांडू में स्थायी सचिवालय की स्थापना हुई। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है। जिसकी सहायता के लिए अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था है। महासचिव की नियुक्ति सदस्य देश के प्रतिनिधियों में से वर्णमाला क्रम में तथा चक्रण पद्धति के आधार पर होती है। सचिवालय के मुख्य कार्य हैं —

(i) कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, समन्वयन एवं क्रियान्वयन करना।
(ii) सार्क के विभिन्न अंगों की बैठकों की व्यवस्था करना।

इस संगठन का अध्यक्ष वही देश होता है जहाँ सार्क का अंतिम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। अंतिम शिखर सम्मेलन के समय नये अध्यक्ष की घोषणा की जाती है।

सार्क के निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं तथा द्विपक्षीय एवं विवाद स्पद मुद्दे टाल दिये जाते हैं। संगठन के संविधान में यह प्रावधान भी है कि सार्क के अंतर्गत कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो विद्यमान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अनुबंधों के विरुद्ध हो। साथ ही सार्क कार्यक्रमों को सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित होना चाहिए।

गतिविधियाँ (Activities) :— सार्क के केन्द्रीय आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था 1991 में व्यापार उत्पादनों और सेवाओं (Trade, Manufactures

and Services – TMS) पर क्षेत्रीय अध्ययन का समापन। उसी वर्ष आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिये एक उच्चस्तरीय आर्थिक सहयोग समिति (सी ई सी) का गठन किया गया। सदस्य देशों के वाणिज्य सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं।

1993 में ढाका में आयोजित सार्क के सातवें शिखर सम्मेलन में सार्क अधिमान्य व्यापार (SAARC – Preferential Trading Arrangement – SAPTA) स्थापित करने के लिये एक समझौता हुआ। SAPTA में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से शुल्क राहतों के विनिमय के लिये एक ढाँचा प्रदान करता है। SAPTA के अधिन शुल्क, अतिरिक्त शुल्क (Paratariff) गैर शुल्क (Non-Tariff) तथा प्रत्यक्ष व्यापार उपाय आते हैं।

1995 के दिल्ली शिखर सम्मेलन में सार्क (infrastructural) विकास कोष को विलीन करके दक्षिण एशिया विकास कोष (एस एडी एफ) स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

सबके लिए खाद्य सुरक्षा के संबंध में सदस्य देशों में आपात खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्क खाद्य सुरक्षा निति की स्थापना हुई।

आतंकवाद के दमन के लिए भी Regional Convention on the Suppression of Terrorism की स्थापना हुई। साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबुत करने के लिये कई संयुक्त प्रयोजनाएँ आरम्भ की गई। लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और सामाजिक विकास के लिये कई कार्यक्रम चलाना आरम्भ किया गया। साथ ही सार्क ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग स्थापित किया है।

सार्क जीस उद्देश्य को लेकर अस्तित्व में आया था उसका रिकार्ड बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं रहा जिसका प्रमुख कारण सदस्य देशों के मध्य राजनीतिक विद्वेश को माना जा सकता है किन्तु इसके बावजूद सार्क का अस्तित्व कायम है।

—×—